



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 1921/पविनिनि/मे०/हा०/ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को स्वेच्छा पर स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री संतोष दिवाकर, (बुलन्दशहर)	विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-तृतीय, मुरादाबाद।	विद्युत वितरण मण्डल, हापुड।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य नहीं होगा।

नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 1921 (i)/पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मुरादाबाद/गाजियाबाद क्षेत्र-द्वितीय, बुलन्दशहर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, मुरादाबाद।
4. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, हापुड।
5. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-तृतीय, मुरादाबाद।
6. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
7. कट फाइल।

(जयकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा10)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 1922 / पविनिनि/ मे० / हा० / ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को स्वेच्छा पर स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम / गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री छत्रपाल सिंह, (मेरठ)	विद्युत वितरण खण्ड, बिजनौर।	विद्युत कार्यशाला मण्डल, मेरठ।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य नहीं होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 1922 (i) / पविनिनि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, बिजनौर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत कार्यशाला मण्डल, मेरठ।
5. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, बिजनौर।
6. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
7. कट फाइल।


(जबकृष्णा)
अधीक्षण अभियन्ता(हा०)



CIN : U31200UP2003SGC027458

सं० 1923 / पविनिनिलि / मे० / हा० / ई-3

दिनांक 09.05.2018

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा निम्नलिखित अवर अभियन्ता को स्वेच्छा पर स्थानान्तरित कर उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती इकाई	नव तैनाती इकाई
1	2	3	4
1.	श्री देश दीपक शर्मा, (बागपत)	विद्युत परीक्षण खण्ड, धामपुर।	विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, मुजफ्फरनगर।

उपरोक्त तैनाती आदेश मान० सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सं० 79/1997 में दिये गये अन्तिम आदेश दिनांक 21.03.07 के द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के निर्देशों के अधीन निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य नहीं होगा।


नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त कर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 1923 (i) / पविनिनिलि, तददिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(वितरण), मुरादाबाद / सहारनपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, धामपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, मुजफ्फरनगर।
5. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, धामपुर।
6. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।
7. कट फाइल।


(ज्योती कृष्णा)

अधीक्षण अभियन्ता(हा०)